एजेंडा चलाने के लिए विशेष सत्र

नेता प्रतिपक्ष ने विशेष सत्र पर उठाए सवाल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 अप्रैल. सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए शासकीय संकल्प पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि सरकार को अपना एजेंडा चलाने के लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ता है. पार्टी के एजेंडा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है.

सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया. जब दूषित पानी से लोगों की मौत हुई तो विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया. जब जहरीले सीरप से बच्चों की मौत हुई तो विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया. उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ है तो आरक्षण को लेकर बिल पास होना चाहिए. सिंघार ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वर्ष 2029 का इंतजार क्यों? क्या लोकसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता? महिलाओं का सर्वे करा लें तो पता चल जाएगा कि महिलाएं आज ही आरक्षण चाहती हैं. महिलाओं को सीढ़ी बनाकर संसद में आना चाहते हैं. यदि सरकार इतनी की महिलाओं की शुभचिंतक है तो ओलंपिक में खेलने वाली प्रदेश की बेटी को 9 वर्ष से पीएम आवास क्यों नहीं दिया गया. वह झुग्गी में रहने के लिए क्यों मजबूर है.

कांग्रेस के अभिजीत शाह गेहूं की बोरी लेकर पहुंचें

टिमरनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह सोमवार को ट्रेक्टर लेकर ही विधानसभा जाने लगे,जिन्हें सुरक्षाकर्मियों ने मंत्रालय के पास की गई अस्थायी बैरिकेटिंग पर रोक दिया. इस दौरान शाह और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी बनी. शाह के मुताबिक उन्होंने ट्रेक्टर विधानसभा परिसर में लेकर जाने की अनुमति ले ली थी, लेकिन पुलिस ने परिसर में ट्रेक्टर लेकर जाने की अनुमति नहीं दी. बाद में वे ट्रेक्टर छोड़कर एक बोरे में

गेहूं की बाली लेकर विधानसभा परिसर पहुंचें और गेहूं खरीदी के मामले में सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया.

नागरिक संहिता संबंधी समिति बनी

सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमती देसाई की अध्यक्षता में बनी है समिति

भोपाल, 27 अप्रैल. मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए राज्य सरकार ने आज रात उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया.

छह सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से विधिवत आदेश जारी हुए हैं. समिति में सेवानिवृत आईपीएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह को सदस्य बनाया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर

सचिव अजय कटेसरिया इस समिति के सचिव होंगे.

समिति से अपेक्षा की गई है कि वह राज्य में प्रचलित विभिन्न व्यैक्तिक, पारिवारिक विधियों, जिनमें विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक एवं लिव इन संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं, का समग्र अध्ययन करेगी. अन्य राज्यों विशेषकर उत्तराखंड एवं गुजरात में अपनाए गए मॉडल या प्रक्रिया का अध्ययन कर समिति उपयुक्त बिंदुओं का परीक्षण करेगी.

समिति 60 दिनों में देगी अपनी रिपोर्ट शासन को

आदेश में कहा गया है कि समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए एक संतुलित एवं व्यवहारिक एवं विधिक संरचना प्रस्तुत करेगी. समिति से अपेक्षा की गई है कि वह निर्धारित परीक्षणों के आधार पर सुविचारित प्रारूप विधेयक एवं विस्तृत प्रतिवेदन राज्य शासन को निर्धारित समयावधि 60 दिनों में पेश करेगी.

22 लाख रुपए निकाल लिए और नहीं कराया निर्माण कार्य

ग्राम पंचायत अर्रावती के पंचों ने की शिकायत

बैरसिया, 27 अप्रैल. बैरसिया जनपद की ग्राम पंचायत अर्रावती में उप सरपंच को सरपंच का दायित्व मिलते ही सचिव से साठगांठ कर बगैर निर्माण कार्य किए 21 लाख के फर्जी बिल लगा राशि निकालने के आरोप पंचों ने लगाए हैं.

पंच सुमित पचौरी, समंदर सिह , अशोक सोनी, ब्रजेश पचौरी, मोसिम खां, सलीम खां , नवल आदि ने पंचायत मंत्री, प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास, कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर जांच और निकाली गई राशि की वसूली की मांग की है.

पंच सुमित पचौरी ने बताया की ग्राम पंचायत अर्रावती सरपंच पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है. सरपंच गंभीर अनिमितताओं के चलते पद से पृथक हो चुके है. नियम अनुसार 6 माह के लिए उपसरपंच सविता चौहान को सरपंच का दायत्व दिया गया. इन्होंने सचिव की सांठगांठ से 22, 23 और 24 जनवरी को बगैर ग्राम सभा अनुमोदन के नियम विरुद्ध, अर्रावती व चठोआ गांव में श्मशान घाट के सौंदर्यकरण , अर्रावती में चबूतरा एव चादर शेड निर्माण , चठोआ में पुलिया निर्माण एव सीसी रोड निर्माण के फर्जी बिल लगाकर 21 लाख की राशि आहरण कर ली. राशि निकालने के बाद भी कोई निर्माण कार्य नहीं कराया. इधर 6 माह का कार्यकाल पूर्ण होते ही 2 फरवरी को पंचायत भवन में नियमानुसार पंचों का सम्मलेन हुआ. इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के पंच लेखराम अहिरवार को निर्विरोध सरपंच चुना गया.

इनका कहना है

जांच के लिए जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है . जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी .

इला तिवारी, सीईओ जिला पंचायत भोपाल

युवक से मारपीट का केस दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 अप्रैल. अशोका गार्डन क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने लेकर हुई मारपीट के मामले में सोमवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि रविवार को धार्मिक भावनाओं को लेकर हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी हरविंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके ही क्षेत्र में रहने वाला पवन नामक व्यक्ति पिछले कुछ समय से समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्य और टिप्पणियां कर रहा था. रविवार को विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह और अन्य लोग पवन के पास पहुंचे. बातचीत के दौरान पवन ने समुदाय के एक सदस्य के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद स्थानीय लोग अशोका गार्डन थाने पहुंचे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल घायल व्यक्ति की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

नाबालिग को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म

नवभारत प्रतिनिधि.

भोपाल, 27 अप्रैल. बजरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छह साल तक यौन शोषण होने का मामला सामने आया है. आरोपी रोहित ने पीड़िता का नाबालिग उम्र में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया.

पीड़िता समाज में बदनामी के डर से पिछले छह साल से चुप थी. लेकिन आखिर में उसने हिम्मत जुटाकर स्पीड पोस्ट से पुलिस को एक पत्र भेजकर अपने साथ हो रहे दुष्कर्म की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार घटना की शुरुआत 2020 में हुई थी. जब पीड़िता की उम्र केवल 16 साल थी. आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था. उसने पीड़िता को बहलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर सालों तक उसे ब्लैकमेल किया. आरोपी पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले 6 सालों से दुष्कर्म करता रहा.

पीड़िता के बालिग होने के बाद आरोपी ने शहर के कई होटलों में ले जाकर उसका शोषण किया. इस बीच परिवार ने पीड़िता की सगाई दूसरी जगह तय कर दी. इसके बाद आरोपी ने वीडियो ससुराल वालों को भेजने की धमकी दी. इससे पीड़िता की सगाई भी टूट गई और आरोपी ने शादी का दबाव बनाकर पीड़िता से जबरन विवाह भी कर लिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर मोबाइल भी छीन लिया. फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

एम्स में मिर्गी उपचार पर जागरुकता सत्र

भोपाल. एम्स भोपाल में चिकित्सा शिक्षा को और अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मिर्गी के उपचार विषय पर एकीकृत शिक्षण सत्र आयोजित किया गया. सत्र में एमबीबीएस 2024 बैच के विद्यार्थियों ने भाग लेकर रोग और उपचार की गहराई को समझा. फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा न्यूरोलॉजी विभाग के सहयोग से आयोजित सत्र का संचालन एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रियंका वी कश्यप ने किया. उन्होंने मिर्गी के इलाज में उपयोग होने वाली एंटीएपिलेप्टिक दवाओं के बारे में सरल भाषा में समझाया.

राजधानी के 25 इलाकों में होगी बिजली कटौती

भोपाल, 27 अप्रैल. बिजली कंपनी द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस के चलते मंगलवार को राजधानी के 25 इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी.

जानकारी के अनुसार सुबह 8 से सुबह 10 बजे तक मीनाक्षी अपॉर्टमेंट, रॉयल अपॉर्टमेंट, कोहेफिजा स्थित कलेक्टोरेट एवं आसपास और सुबह 9.30 से दोपहर 2.30 बजे तक शीतल हाइट, सांई पार्क, कौशल नगर, निर्मल स्टेट, एक्सेल स्टेट, भैरोपुर, फॉरर्च्यून सौम्या हेरिटेज, झरनेश्वर, मधुवन विहार, 11 मील, दीप मोहिनी, ड्रीम लैंड कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्र में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी. इसके अलावा सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ग्रीन मीडोज एवं आसपास, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रगति नगर, अशोका गार्डन, अमृत कॉम्पलेक्स एवं आसपास और सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक लेक व्यू, राजीव नगर लालघाटी, एनआरआई कॉलोनी एवं आसपास कटौती होगी.

बुजुर्ग को पेशाब पिलाने के 3 आरोपियों को भेजा जेल

रायसेन. मानवता को शर्मसार करने वाली घटना में कोतवाली पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपियों ने एक बुजुर्ग का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और जबरन पेशाब पिलाया था. साथ ही घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था. पुलिस के अनुसार ग्राम मालखो निवासी 60 वर्षीय पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 मार्च की सुबह वह जंगल में शौच के लिए गया था, तभी कुछ लोग वाहन से पहुंचे और उसके बेटे द्वारा उनकी लड़की को भगाने के विवाद में उसे जबरन उठाकर ले गए.आरोपियों ने उसे ब्यावरा-राजगढ़ रोड स्थित बामलावे जोड़ के पास ले जाकर गाली-गलौच, मारपीट की और पेशाब पिला दी.

पैदल मार्च कर सौंपा ज्ञापन

बैरसिया. गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन पर 25 हजार लोगों के हस्ताक्षर है.

ज्ञापन में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई.सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में गौ प्रेमी सावलिया मंदिर चौपड़ बाजार में एकत्रित हो हुए. यहां से पैदल मार्च कर तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मिट्ठूलाल पंवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौपा. इस अवसर पर सभी राजनैतिक दलों के अलावा सामाजिक ,धार्मिक और समाजसेवी संथाओं के प्रमुखजनों सहित आम नागरिक उपस्थित थे.

(पेज-1 के शेष)

एमपी मतलब महिला सशक्तिकरण प्रदेश

नाराजगी जताते हुए वाकआउट कर दिया. इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई परिभाषा गढ़ दी. उन्होंने कहा कि एमपी मतलब महिला सशक्तिकरण. उन्होंने परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू होने के फायदे गिनाते हुए कहा कि यदि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू हुआ तो देश में लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी, वहीं 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. मप्र में भी 6 के बजाय 14 बहनों को संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व दोगुना से अधिक कर रहे तो क्या गलत कर रहे. मप्र में अभी विधानसभा की 230 सीटें है, जो बढ़कर 345 हो जाएंगी. ऐसे में मप्र में 114 सीटें बहनों के लिए आरक्षित होंगी.

कांग्रेस ने बहनों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया: संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के पास तो 1984 में भी दो तिहाई बहुमत था, तो भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया. कांग्रेस पक्ष में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी परिसीमन का विरोध करती है. बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सकता, ये संवैधानिक बाध्यता है. कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके इसके लिए सभी दोषी हैं. उन्होंने कहा कि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू होने पर 33 फीसदी आरक्षण का लाभ अजा-जजा को भी मिलता. यदि अभी गलती स्वीकार नहीं की तो प्रदेश में आपको असहनीय कष्ट होने वाला है. तुष्टिकरण की राजनीति से बाबा महाकाल भी माफ नहीं करेंगे. हमेशा से कांग्रेस का काम बांटो और राज करो का रहा है. जिनके द्रष्टि में ही दोष है, उनको ये विजन नहीं दिखेगा, इससे वंशवाद की नींव हिल जाएगी. छोटे मन से बात नहीं होगी. आपका मन कब जुड़ेगा और खड़ा होगा. विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि यदि यदि आप धर्म के आधार पर आरक्षण लेकर आते हो तो जनता कभी माफ नहीं करेगी. बहनों के हक पर डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है, इसका जवाब जनता को देना होगा. शाहबानो मामले में कांग्रेस ने तुष्टिकरण की चासनी चाटने का काम किया. बहनें अपमान नहीं भूलती, बदला लेकर रहती हैं. कांग्रेस ने बहनों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. पाप की सजा जरुर मिलती है.

प्रदेश में 17 महिला कलेक्टर : सीएम ने कहा कि निकायों में 50 फीसदी आरक्षण लागू है. 6 बहनें सांसद हैं, विधानसभा में 27 बहनें विधायक हैं. मंत्रिमंडल में 5 बहनें हैं. प्रदेश के 55 में से 17 जिलों में महिला कलेक्टर हैं. जो सुशासन में भूमिका निभा रही हैं. आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और जिला पंचायतों में कई महत्वपूर्ण पदों पर बहनें हैं. जब मैं सीएम बना तो बहन वीरा राणा मुख्य सचिव बनकर सरकार की विकास यात्रा शुरू की. कहां कांग्रेस का 55 वर्ष और कहां वर्ष 2003 के बाद का समय. इस दौरान सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी ब्यौरा देते हुए उपलब्धियां गिनाईं.

संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती दी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जवाब के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा शासकीय संकल्प पर दिए संशोधन प्रस्ताव पर सदन का मत लेने की व्यवस्था देते हुए कहा कि सोहन वाल्मीक सहित सात सदस्यों ने संशोधन दिया है. पहले संशोधन में 543 सीटों के साथ ही महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान तत्काल लागू करने संबंधी था, जैसे ही अध्यक्ष ने संशोधन प्रस्ताव पढ़ा, विपक्ष ने मत विभाजन की मांग कर दी. इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा कि शासकीय संकल्प पर संशोधन स्वीकार किया गया है, वैसे तो ये नहीं किया जाना था, ऐसे में अब शासकीय संकल्प पर मतदान करा लें और संशोधन पर हां-ना करा लें. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले संशोधनों पर मत विभाजन होना चाहिए. इस पर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने नियम खंगालना शुरू कर दिया. गिरीश गौतम ने कहा कि केवल शासकीय संकल्प पर ही वोटिंग हो सकती है. इस बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि किसका संकल्प पहले दिया गया है. इस पर सीतासरन शर्मा ने भी कहा कि शासकीय संकल्प पर मत लेने का प्रावधान नहीं है. सीएम का संकल्प पहले सचिवालय को दिया गया है. सीएम ने भी कहा कि हमारा प्रस्ताव पहले दिया गया है. इस पर नेता प्रतिपक्ष सिंघार तैश में आ गए और तेज आवाज में बोलने लगे कि हमें इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई. इस पर सीएम डॉ. यादव ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. हम भी आपसे दस गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं. डराने की कोशिश नहीं चलेगी. हम सदन के साथ मैदान में भी निपट सकते हैं. इस बीच सत्ता पक्ष के भूपेन्द्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष से अपने व्यवहार के लिए खेद जताने की मांग की. इस बीच इस मामले को लेकर बने गतिरोध के बीच अध्यक्ष तोमर ने कहा कि विपक्ष का संशोधन आज सबेरे मिला. सीएम का पहले मिला था, इसलिए अब गलतफहमी न रहे. विपक्ष के शोर के बीच अध्यक्ष ने शासकीय संकल्प पर मत लिया और शासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके बाद विजयवर्गीय ने कहा कि अब संकल्प पारित हो गया है, इसलिए संशोधन पर डिवीजन की जरुरत नहीं है. अध्यक्ष तोमर ने भी कहा कि शासकीय संकल्प पारित होने के बाद विपक्ष के संशोधन स्वत: अस्वीकृत हो जाएंगे. इस पर विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए वाकआउट कर दिया.

विपक्ष के दो सदस्य हो गए बाहर: विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए अध्यक्ष तोमर ने सभी सदस्यों को सीटों पर जाने और गेट बंद करने का निर्देश दिया. उसके बाद घंटी बजाई गई , जिससे कि यदि कोई सदस्य सदन से बाहर हैं तो वे सदन के भीतर आ सके और मत विभाजन में हिस्सा ले सकें, लेकिन इस मामले को लेकर सदन में पूरे समय भ्रम की स्थिति बनी रही और सदन के सभी द्वार बंद कर दिए गए जिस कारण कांग्रेस के दो सदस्य सदन से बाहर ही रह गए. हालांकि जिस संशोधन पर मत विभाजन होना था, वह भी नहीं हो सका. बाद में विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की.

विपक्ष का अशासकीय संकल्प अस्वीकार

उस पर भी चर्चा कराने की मांग की. विपक्ष के अशासकीय संकल्प में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही बिना परिसीमन के ही महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग की गई थी. उन्होंने दावा किया कि हमारा कागज पहले लगा है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा कि शासकीय संकल्प पहले दिया गया इसलिए इसे पेश कर रहे हैं. जो संकल्प पहले दिया गया, उसे स्वीकार किया गया है. इस बीच पक्ष-विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जमकर नोंकझोंक हुई, जिससे सदन में शोरगुल की स्थिति बन गई. अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस विषय पर कोई अशासकीय संकल्प नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुझे कई अन्य सदस्यों ने सीएम के शासकीय संकल्प पर संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर मैं चर्चा कराऊंगा. जब अध्यक्ष ने विपक्ष के अशासकीय संकल्प को अस्वीकार कर दिया तो विपक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए वाकआउट कर दिया.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैं रंजीत सिंह गोरोवारा पुत्र अमरीक सिंह गोरोवारा निवासी मकान नंबर 26- बी नादिर कालोनी, शामला हिल्स, भोपाल (म. प्र.) पूर्व में मेरा नाम रंजीत गोरोवारा था जिसे मैने बदल कर रंजीत सिंह गोरोवारा रख लिया है।
मेरी अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रंजीत सिंह गोरोवारा लिखा है। अत: मुझे भविष्य में मेरे नए नाम रंजीत सिंह गोरोवारा के नाम से जाना और पहचाना जाए।

म.प्र. जन अभियान परिषद्
(मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
35, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र.
दूरभाष: 0755-3511442, ई-मेल: socjap@mp.gov.in
वेबसाइट: www.mpjap.mp.gov.in
क्र. 1399/ज.अ.प./टी.एम./नवां/2026 भोपाल, दिनांक 27/4/2026

आवेदन सूचना

नवांकुर संस्थाओं के रूप में चयन हेतु आवेदन

म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा नवांकुर योजना (वर्ष 2026-27) अंतर्गत प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में आवश्यकतानुसार (वांछित स्थानों पर) स्वैच्छिक संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के रूप में कार्य करने हेतु प्रदेश के संस्थाओं/समितियों से निर्धारित प्रारूप में नि:शुल्क ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं.
योजना का विस्तृत विवरण, संस्थाओं के चयन हेतु जिलेवार संस्थाओं की संख्या, अर्हताएं एवं आवेदन फार्म की जानकारी परिषद् के राज्य/ संभाग/ जिला कार्यालय अथवा परिषद् की वेबसाइट www.mpjap.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन फार्म दिनांक 12 मई, 2026 को सायं 6 बजे तक स्वयं या डाक से संबंधित जिला कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. अन्य किसी जानकारी के लिए परिषद् के संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
कार्यपालक निदेशक
G12090/26 म.प्र. जन अभियान परिषद्

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
कार्यालय : सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : +91-755-2770765, 2770538, 2770761
ई-मेल : aiggpa@mp.gov.in, वेबसाइट : www.aiggpa.mp.gov.in
AIGGPA-ADMIN012(50)/2026/E-36688 भोपाल, दिनांक : 27.04.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय किये जाने हेतु GeM Portal<https://mkp.gem.gov.in/> पर खुली निविदाएं Bid Number: GEM/2026/B/7474167, GEM/2026/B/7462884 एवं GEM/2026/B/7463087 के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक निविदाकार उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित नियमों/शर्तों के तहत निविदा भरने की कार्यवाही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना GeM Portal अथवा संस्थान की वेबसाइट www.aiggpa.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
म.प्र. माध्यम/125502/2026 मुख्य प्रबंधक (प्रशासन)

भारतीय खेल प्राधिकरण
भारत सरकार
खेल विभाग
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)
(मानव संसाधन प्रभाग-II)
मुख्यालय गेट संख्या-10 (पूर्वी द्वार)
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
फाइल सं. 01-04001(03)/4/2026-66 दिनांक: 10/4/2026

भारतीय खेल प्राधिकरण में निदेशक (प्रतिनियुक्ति आधार) हेतु भर्ती

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है, अपने मुख्यालय, नई दिल्ली तथा विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 में निदेशक के 16 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है. पात्र अधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों सहित, निदेशक (मानव संसाधन प्रभाग-II), SAI, जे.एन. स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रेषित कर सकते हैं. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10/5/2026 (सायं 5 बजे तक) है.
विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रपत्र तथा अन्य निर्देश SAI की वेबसाइट (www.sportsauthorityofindia.nic.in) पर उपलब्ध होंगे.
सीबीसी-47103/11/0004/2627

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANY LIMITED
(A Govt. of M. P. Undertaking)
Office of The Dy. General Manager (O&M) Division, Bhairunda
Office add. : Nasrullaganj, Disst.-Sehore, M.P., E-Mail : eenasrullaganj99@gmail.com
No.: DGM/O&M/Veh./156 Bhairunda, Dated : 27.04.2026

OFFER FOR HIRING VEHICLE

MPMKVVCL hereby invited offer/rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations.

Name of Unit/ Office	Particulars	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
Distribution Centre MPMKVVCL Bhairunda.	Type "Type F3, Mini Pick up-Double cabin with ladder/Any Low-End SUV half open from backside for carriage of man, materials, ladder, etc. or equivalent. (For Single Shift)" (As per Vehicle Policy)	13.05.2026 Up to 03:30 PM	13.05.2026 at 4:00 PM

Other details, terms and conditions are available on company website : https://portal.mpcz.in or the under signed office.
M.P. Madhyam/125506/2026 DGM (O&M)